भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 06

21.07.2025 को उत्तर के लिए

भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

06. श्री राजीव राय :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के उत्तरी मैदानी इलाकों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के संबंध में भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) भारत सरकार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने अनुकूलन और शमन दोनों पर भारत की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत जल, कृषि, वन, ऊर्जा और उद्यम, संधारणीय गतिशीलता और पर्यावास, अपशिष्ट प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता आदि सहित कई क्षेत्रों में उचित उपाय किए जा रहे हैं।
सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का क्रियान्वयन कर रही है, जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर कार्यनीतिक जानकारी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में मिशन शामिल हैं। संबंधित नोडल मंत्रालय इन मिशनों का क्रियान्वयन करते हैं। इनमें से एक मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाना है।

कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौती को ध्यान में रखते हुए प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए एनएमएसए के तहत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना शुरू की गई थी। देश में वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी) योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)/मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) योजना मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खाद और जैव-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी

मिट्टी की पोषकता की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है तथा मृदा स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा के बारे में सिफारिश करता है।

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मुद्दों के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश (यूपी) सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन संबंधित राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार करने में सहयोग दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एसएपीसीसी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए पाँच कार्यनीतियों की पहचान की है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी) के अंतर्गत बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के माध्यम से समाज को जलवायु सेवाएं प्रदान करना है। यह डीएसटी-सीओई आवश्यकता-आधारित गर्मी और शीत लहर, तथा भारी वर्षा की चेतावनियाँ जारी करता है। इसके अतिरिक्त, यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कृषक समुदाय के लाभ के लिए स्थान और फसल-विशिष्ट मौसम-आधारित परामर्श भी जारी करता है। इन परामर्शियों के लिए प्रिंट/विजुअल/एसएमएस/रेडियो/टीटी-आधारित मीडिया और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सर्विस जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को उपयुक्त क्षेत्र-स्तरीय कार्रवाई करने में सुविधा हो रही है।
सरकार जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक नेटवर्क परियोजना भी क्रियान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य फसलों सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना तथा मौसम की विषम स्थितियों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश में, 17 संवेदनशील जिलों में से प्रत्येक से एक ग्राम समूह, अर्थात, बागपत, बहराईच, बांदा, बस्ती, चित्रकूट, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, कानपुर (देहात), कौशांबी, कुशी नगर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर और सोनभद्र को एनआईसीआरए के माध्यम से प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए चुना गया था।
इसके अलावा, सरकार वर्ष 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी रीतियों को बढ़ावा देना और किसानों में जागरूकता पैदा करना भी है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन का उद्देश्य भी कृषि में जलवायु अनुकूलता बढ़ाना है। जोखिम और भेद्यता का आकलन मुख्यतः कृषि प्रधान जिलों के लिए किया गया। कुल 109 जिलों को अत्यंत उच्च और 201 जिलों को अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है।
किसानों के समक्ष जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है, जिन्हें राज्य में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़कर उन्नत बनाया जा सकता है। कुछ जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियां जैसे चावल गहन उत्पादन प्रणाली, चावल का एरोबिक उत्पादन, चावल की सीधी बुवाई, बिना जुताई गेहूं की बुवाई, विषम मौसम स्थितियों के प्रति सहनशील जलवायु अनुकूल किस्मों की खेती; सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली; लेजर लैंड लेवलिंग, गर्मी के तनाव को कम करने के लिए पशुओं के लिए बेहतर आश्रय; मुर्गीपालन सहित एकीकृत कृषि प्रणालियां; विकसित की गई हैं और किसानों के लिए इनका बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया गया। इन जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि पर किसानों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाए गए।
सरकार, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

****